

689/16
178
Dated 2-3-2001

HARYANA GOVERNMENT
HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT
NOTIFICATION

The Feb. 28, 2001

No. 1779-Agri.II(5)-2000/ 3419

.- In exercise of the powers conferred by section 19 of the Punjab Fruit Nurseries Act, 1961 (Punjab Act 13 of 1961) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Fruit Nurseries Rules, 1961, in their application to the State of Haryana, namely :-

1. These rules may be called the Punjab Fruit Nurseries (Haryana Amendment) Rules, 2000.

2. In the Punjab Fruit Nurseries Rules, 1961 (hereinafter called the said rules), in rule 2,-

(i) clause (b) shall be omitted;

(ii) in clause (d), the word "and" existing at the end, shall be omitted;

(iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :-

"(dd) "Horticulture Development Officer" means the Horticulture Development Officer incharge of horticulture extension work; and

3. In the said rules, for the words "Agriculture Inspector" wherever occurring, the words "Horticulture Development Officer" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 3, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) Application for a licence to conduct or establish a fruit nursery shall be made to the competent authority in Form-1. The applicant shall deposit an amount of Rs. 2000/- (two thousand rupees only) under Head "0401- Crop Husbandry-119-Receipt from Horticulture and and Vegetable Crops- Income by way of nursery Licence Fee" in the Government Treasury and shall enclose the original treasury challan with the application".

5. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (3), for

Contd.....p/2...

TAF

pl. put up 18/2/01
pp 203/24
7/3

- 2 -

the word "ten" , the words "five hundred" shall be substituted.

Superintendent
Special Commissioner's
Office
IAN L. ARH

Naseem Ahmad,
Financial Commissioner and Secretary
to Government Haryana, Horticulture
and Marketing Department, Chandigarh.

Endst No. 1779-Agri.II(5)-2000/ 3420 Dated 28.2.2001

A copy with a spare copy is forwarded to the Controller,
Printing and Stationery, U.T. Chandigarh for publishing the above
notification in the Haryana Govt., Gazette (Extraordinary) and also
for sending 50 copies of the published notification to this
department for official use.

Hazari Lal
Superintendent,
for Financial Commissioner & Secretary to
Govt., Haryana, Horticulture and
Marketing Department, Chandigarh. *ml*

Endst No. 1779-Agri.II(5)-2000/ 3421 Dated 28.2.2001

A copy is forwarded to the Director of Horticulture, Haryana
with reference to his memo No. 8384-TAF, dated 5/7/2000 for
information and necessary action.

Hazari Lal
Superintendent,
for Financial Commissioner & Secretary to
Govt., Haryana, Horticulture and
Marketing Department, Chandigarh. *ml*

Endst No. 1779-Agri.II(5)-2000/ 3422 Chandigarh, dated 28.2.2001

A copy is forwarded to the Legal Remembrancer and Secretary
to Govt., Haryana, Legislative Department, Chandigarh for information
and necessary action with reference to their U.O.No. 3181-Leg-III
(203)-B/2k/789, dated 15/9/2000.

Hazari Lal
Superintendent,
for Financial Commissioner & Secretary to
Govt., Haryana, Horticulture and
Marketing Department, Chandigarh. *ml*

दिनांक 28 फरवरी, 2001

संख्या 1779-कृषि/55-2000/ 3419

- पंजाब कल पौधाला अधिनियम,

1961 § 1961 का पंजाब अधिनियम 138, की धारा 19 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करता है, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब कल पौधाला नियम, 1961, को हरियाणा राज्यार्थ आगे संगोपित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब कल पौधाला § हरियाणा संगोपन नियम, 2001, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब कल पौधाला नियम, 1961 § जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है § में; नियम 2 में, -
§ 118 खण्ड § ख § का लोप कर दिया जाएगा ;
§ 118 खण्ड § घ § में, अन्त में विद्यमान, "और" शब्द का लोप कर दिया जाएगा ;
§ 118 खण्ड § घ § के बाद, "निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
"§ घ घ § " उपाय विकास अधिकारी" से अभिप्राय है, उपाय विस्तार संकर्म का भारसाधक उपाय विकास अधिकारी; तथा
3. उक्त नियमों में, "कृषि निरोधक" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "उपाय विकास अधिकारी" शब्द रहे जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 3 में, उप नियम § 18 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
"§ 18 किसी कल पौधाला को चलाने या स्थापित करने के लिये किसी अनुज्ञापित के लिये आवेदन प्रत्य-1 में सूक्ष्म प्राधिकारी को किया जाएगा आवेदक "040। ग्रोव एंडेण्डर-119 रिमोट फ़ोटोमेट्रिक एण्ड वैजिटेबल ग्रोथस मॉनिटरिंग अनुज्ञापित कीस के रूप में आय"शेर्ज के अधीन 2000/-रूपर § दो हजार रूपर § की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाएगा तथा आवेदन के साथ मूल खजाना वाला सलंगन करेगा।"
5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप नियम § 38 में, "दस" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ" शब्द रहे जाएंगे।

नसीम अहमद,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उपान तथा विपणन विभाग

सेवा में,

उद्यान निदेशक, हरियाणा ।

165

1. सभी जिला उद्यान अधिकारी,
हरियाणा राज्य में।
2. अधीक्षक उद्यान, राजकीय बाग एवं
नर्सरी, पिन्जौर ब निश्चयपुरा

क्रमांक 4085-4185 /टी. स. सफ.

दिनांक:- 17-3-01

विषय:-

पंजाब फ्रूट एक्ट-1961 § हरियाणा अमैन्डिड § रूलज-2000.

....

उपरोक्त विषय पर आपको उद्यान एवं विपणन विभाग हरियाणा सरकार के नोटीफिकेशन नं० 1779-TT§5§-2000/3419 दिनांक 28.2.01 की प्रति सूचनार्थ एवं बाक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

इस विषय पर आपको हिदायत दी जाती है कि इस नोटीफिकेशन की दिनांक 28.2.2001 के बाद दृढ़ता से पालना की जाए तथा जो भी नर्सरी लाईसेंस हेतु केस भेजे जाए वे इस नोटीफिकेशन अनुसार भेजे जाए । यह नोटीफिकेशन मुख्यतः नये लाईसेंस बनवाने के लिए व उनके नवीनीकरण के लिए फीस बढ़ाने से संबंधित है । नये लाईसेंस के लिए लाई सेंस फीस 30/- रु. से बढ़कर 2,000/- रुपये हो गई है तथा नवीनीकरण के लिए 10/- रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 500/- रुपये हरे प्रति वर्ष हो गई है ।

संदर्भ:-

उपरोक्त ।

उ. नि. उ. § फल § 7/3/2001
कृत: उद्यान निदेशक, हरियाणा, पंचकुला ।